No.A.60015/1/2014-Admn Government of India Ministry of Water Resources

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg New Delhi, dated 13th January, 2014

OFFICE ORDER NO. 33/2014

With the transfer of erstwhile Special Secretary (WR), his entire workload got subsumed in Secretary (WR). Now, with the joining of new Additional Secretary (WR) on 30.12.2013, the matters which are to be disposed of at his level or routed through him by the SMDs concerned would be as under:-

S.No.	Subjects/ matters/ issues	Channel of submission from AS onwards
1.	Review of pending Parliamentary	Through AS (WR) to Minister (WR)
	Assurances and extension required	except for Indus Wing, for which file to
		be put up directly to Secretary (WR)
2.	Fulfillment of Parliamentary Assurances	AS (WR) → Secretary (WR) → Minister (WR)
3.	Periodic report to PMD on water	To be disposed at AS (WR) level
	position (both Surface and Ground	
	Water)	
4.	Periodic report on e-Governance in the	To be disposed at AS (WR) level
	Ministry	
5.	Periodic updates to Minister (WR) on e-	AS (WR) → Secretary (WR) → Minister
	Governance in the Ministry	(WR)
6.	Issues relating to Official Language	To be disposed at AS (WR) level
7.	Comments on EFC/ Cabinet note of	AS (WR) → Secretary (WR)
	other Ministries	
8.	Matters pertaining to CCI	To be disposed at AS (WR) level
9.	Technical matters pertaining to GW	AS (WR) → Secretary (WR)
10.	Implementation of NAQUIM	AS (WR) → Secretary (WR)

- 2. Other matters which were being submitted to Secretary (WR) directly by the SMDs concerned, after the transfer of SS(WR), will continue to be submitted to Secretary (WR) directly for the time being until further orders.
- 3. This issues with the approval of Secretary (WR).

Under Secretary to the Govt. of India Tel. No. 23738126

Email: usadmn-mowr@nic.in

To,

1. All Wing Heads/ Officers/ Sections in the Ministry of Water Resources

Copy for information to :-

- 1. PS to Minister (WR)
- 2. Sr. PPS to Secretary (WR)/ PS to AS (WR)/ PS to JS (A & GW)
- 3. NIC Cell for uploading on the circular page of the intranet.

सं. ए 60015/1/2014-प्रशासन भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय

श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2014

कार्यालय आदेश सं. 33/2014

पूर्व विशेष सचिव (जल संसाधन) के स्थानांतरण के बाद उनका सारा कार्यभार सचिव (जल संसाधन) के पास आ गया था । अब दिनांक 30.12.2013 को नए अपर सचिव (जल संसाधन) के कार्यभार ग्रहण कर लेने पर उनके द्वारा निपटाए जाने वाले अथवा संबंधित एस.एम.डी. द्वारा उनके माध्यम से भैजे जाने वाले मामलें इस प्रकार होंगे :-

क्र.सं.	विषय/मामले/म्दे	भग्र मनित्र में नगर
1.	लंबित संसदीय आश्वासनों की समीक्षा और अपेक्षित समय	अपर सचिव से ऊपर प्रस्तुत करने का स्तर
	सीमा विस्तार	1 (0,4) (0,4) (0,4)
		सिंधु स्कंध को छोड़कर जिससे संबंधित मामले में
2.	संसदीय आश्वासनों को पूरा किया जाना	फाइल सीधे सचिव (ज.सं.) को प्रस्तुत की जाएगी ।
	व्यापनाराजा का पूरा किया जीनी	अपर सचिव (ज.सं.) → सचिव (ज.सं.) → मंत्री
3.		(ज.सं.)
0.	पीएमडी को जल स्थिति (सतही और भूमि जल दोनों)	अपर सचिव (ज.सं.) स्तर पर निस्तारित किये जाएंगे
	संबंधी आवधिक रिपोर्ट	1
4.	मंत्रालय में ई-गवर्नेस संबंधी आवधिक रिपोर्ट	अपर सचिव (ज.सं.) स्तर पर निस्तारित किये जाएंगे
	*	
5.	मंत्रालय में ई-गवर्नेंस के विषय में मंत्री (ज.सं.) को	अपर सचिव (ज.सं.) → सचिव (ज.सं.) → मंत्री
	आवधिक अद्यतन जानकारी देना	(ज.सं.) → सावव (ज.स.) → मत्रा
6.	राजभाषा संबंधी मुद्दे	
	Ç	अपर सचिव (ज.सं.) स्तर पर निस्तारित किये जाएंगे
7.	ईएफसी/मंत्रिमंडल टिप्पणी पर अन्य मंत्रालयों की	
	टिप्पणियां	अपर सचिव (ज.सं.) → सचिव (ज.सं.)
8.	सीसीआई संबंधी मामले	
	V 22 0 - 11-101	अपर सचिव (ज.सं.) स्तर पर निस्तारित किये जाएंगे
9.	भूमि जल संबंधी तकनीकी मामले	
		अपर सचिव (ज.सं.) → सचिव (ज.सं.)
10.	एन.ए.क्यू.यू.आई.एम. का कार्यान्वयन	अपर सचिव (ज.सं.) → सचिव (ज.सं.)

- 2. अन्य मामले जो विशेष सचिव (जल संसाधन) के स्थानांतरण के बाद, संबंधित एसएमडी द्वारा सीधे सचिव, जल संसाधन को प्रस्तुत किए जा रहे थे, फिलहाल अगामी आदेशों तक सीधे सचिव (जल संसाधन) को ही प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 3. इसे सचिव (जल संसाधन) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(एल.पी. शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23738126

ई-मेल: <u>usadmn-mowr@.nic.in</u>

सेवा में,

1. जल संसाधन मंत्रालय के सभी स्कंध प्रमुख/अधिकारी/अनुभाग ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1. मंत्री (जल संसाधन) के निजी सचिव ।
- 2. सचिव (जल संसाधन) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (ज.सं.) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं भूजल) के निजी सचिव ।
- 3. एनआईसी प्रकोष्ठ इंट्रानेट के परिपत्र पृष्ठ पर अपलोड करने हेतु ।